**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1497**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन**

**1497. श्री के॰ सोमप्रसादः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) वर्ष 2014 से 2019 के दौरान भारत के पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकता के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ख) वर्ष 2014 से 2019 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न पड़ोसी देशों से नागरिकता के लिए कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया; और**

**(ग) तत्संबंधी देश-वार और ध्रर्म-वार ब्यौरा क्या है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्‍यानंद राय)**

(क) से (ग): नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा अथवा धारा 6 के तहत देशीयकरण द्वारा लोगों को दी गई नागरिकता के रिकॉर्ड नागरिकता अधिनियम, 1955 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार रखे जाते हैं। ये रिकॉर्ड धर्म-वार नहीं रखे जाते हैं।

वर्ष 2014-2019 की अवधि के दौरान पड़ोसी देशों के नागरिकों को प्रदान की गई नागरिकता का वर्ष-वार ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक** में दिया गया है।

**-2-**

**रा.स. अता. प्र.सं. 1497, दिनांक 04.03.2020**

**अनुलग्‍नक**

**पड़ोसी देशों के प्रवासियों को दी गई भारतीय नागरिकता का वर्ष-वार ब्‍यौरा (दिनांक 29.02.2020 की स्थिति के अनुसार)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **अफगानिस्‍तान** | **बांग्‍लादेश** | **पाकिस्‍तान** | **श्रीलंका** | **म्‍यांमार** | **कुल** |
| 2014 | 249 | 24 | 267 | 4 | शून्‍य | 544 |
| 2015 | 234 | 16+14864\* | 263 | 17 | शून्‍य | 15394 |
| 2016 | 244 | 39 | 670 | 35 | शून्‍य | 988 |
| 2017 | 117 | 49 | 476 | 34 | 1 | 677 |
| 2018 | 30 | 19 | 450 | 12 | शून्‍य | 511 |
| 2019 | 40 | 25 | 809 | 11 | शून्‍य | 885 |
| **कुल** | **914** | **15036** | **2935** | **113** | **1** | **18999** |

\* 2015 – भारत-बांग्‍लादेश भूमि सीमा समझौता पर हस्‍ताक्षर होने के बाद, 14864 बांग्‍लादेशी नागरिकों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी।

\*\*\*\*\*